

14th Legislative Assembly Budget Session 2024

List Of Business

28 February 2024

11:00 AM

1. QUESTIONS.

(1) Questions entered in the separate list to be asked and answers given.

2. MOTION UNDER RULE 15

A to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the MINISTER provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

3. MOTION UNDER RULE 16.

A MINISTER to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

4. CALLING ATTENTION NOTICES.

(1)	Calling Attention Notice No.10, notice given by Shri Chiranjeev Rao, MLA	regarding Co-operative project scam
	Calling Attention Notice No. 19, notice given by Shri Abhay Singh Chautala, MLA, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
	Calling Attention Notice No. 20, notice given by: 1. Shri Bharat Bhushan Batra, MLA, 2. Shri Aftab Ahmed, MLA,	Shri Bharat Bhushan Batra, MLA being first signatory may also
	 Shri Varun Chaudhary, MLA, Rao Dhan Singh, MLA, Shri Shamsher Singh Gogi, MLA. 	ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.

clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.		
Calling Attention Notice No. 34, notice given by Smt. Kiran Chaudhary, MLA, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.	
Calling Attention Notice No. 43, notice given by Shri Neeraj Sharma, MLA, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.	

(i) Reply of Calling Attention Notices:-

Calling Attention Notice No.10, notice given by Shri Chiranjeev Rao, MLA	regarding Co-operative project scam
Calling Attention Notice No. 19, notice given by Shri Abhay Singh Chautala, MLA, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 20, notice given by:-Shri Bharat Bhusan Batra, MLA, Shri Aftab Ahmed, MLA, Shri Varun Chaudhary, MLA, Rao Dhan Singh, MLA, Shri Shamsher Singh Gogi, MLA.clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	Shri Bharat Bhushan Batra, MLA being first signatory may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 34, notice given by Smt. Kiran Chaudhary, MLA, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.
Calling Attention Notice No. 43, notice given by Shri Neeraj Sharma, MLA, clubbed with Admitted Calling Attention Notice No. 10.	The Hon'ble Member may also ask a question at the time of discussion on the Calling Attention Notice No. 10.

5. PAPERS TO BE LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE THROUGH 'NeVA' PORTAL.

(1)		
(')	Α	to lay on the Table the 5th Annual Report of the Haryana Medical Services Corporation Limited for the year 2018-
	MINISTER	2019, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.

(2)		
(2)	Α	to lay on the Table the 6th Annual Report of the Haryana Medical Services Corporation Limited for the year 2019-
	MINISTER	2020, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.

(3)		
(0)	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of Haryana Khadi & Village Industries Board for the year 2019-2020, as required under section 19A (3) of the Comptroller and Auditor-General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

(4)		
(-)	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report thereon of Gurugram
		Metropolitan Development Authority for the year 2017-2018, as required under section 39 (4) of the Gurugram
		Metropolitan Development Authority Act, 2017.

	to lay on the Table the Annual Statement of Accounts together with the Audit Report thereon of Gurugram Metropolitan Development Authority for the year 2018-2019, as required under section 39 (4) of the Gurugram Metropolitan Development Authority Act, 2017.				
,,					
6)	A MINISTER		or the ye	ccounts together with the Audit Report thereon of Gurugram ear 2019-2020, as required under section 39 (4) of the Gurugram 7.	
7 \					
7)	A MINISTER		or the ye	ccounts together with the Audit Report thereon of Gurugram ear 2020-2021, as required under section 39 (4) of the Gurugram 7.	
PRI	ESENTAT	TION OF REPORT OF THE	ASSI	EMBLY COMMITTEES.	
1)					
		PERSON OF THE COMMITTEE ON ATE LEGISLATION		to present the Fifty-First Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 2023-2024.	
			•		
2)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON		top	oresent the Eighty Ninth Report of the Committee on Public Accounts	
	PUBLIC ACCOUNTS		for	the year 2023-2024.	
3 /					
3)	THE CHAIR	PERSON OF THE COMMITTEE ON COUNTS		present the Ninetieth Report of the Committee on Public Accounts for e year 2023-2024.	
(3)					
	PUBLIC AC		th	present the Ninetieth Report of the Committee on Public Accounts for e year 2023-2024. present the Seventieth Report of the Committee on Public	
	PUBLIC AC	COUNTS	th	e year 2023-2024.	
(4)	PUBLIC AC	PERSON OF THE COMMITTEE ON IDERTAKINGS	th tc U	p present the Seventieth Report of the Committee on Public Indertakings for the year 2023-2024.	
(4) (5)	PUBLIC AC	PERSON OF THE COMMITTEE ON	to pr	e year 2023-2024. o present the Seventieth Report of the Committee on Public	
4)	THE CHAIR PUBLIC UN	PERSON OF THE COMMITTEE ON IDERTAKINGS	to pr	e year 2023-2024. p present the Seventieth Report of the Committee on Public ndertakings for the year 2023-2024. resent the Thirteenth Report of the Committee on Petitions for the year	
4)	THE CHAIR PETITIONS	PERSON OF THE COMMITTEE ON DERTAKINGS PERSON OF THE COMMITTEE ON PERSON OF THE COMMITTEE ON LOG	to pr 2023	p present the Seventieth Report of the Committee on Public Indertakings for the year 2023-2024. The sesent the Thirteenth Report of the Committee on Petitions for the year 3-2024. The top resent the Nineteenth Report of the Committee on Local Bodies	
4) 5)	THE CHAIR PETITIONS	PERSON OF THE COMMITTEE ON IDERTAKINGS PERSON OF THE COMMITTEE ON	to pr 2023	p present the Seventieth Report of the Committee on Public Indertakings for the year 2023-2024. The esent the Thirteenth Report of the Committee on Petitions for the year 3-2024.	
4)	THE CHAIR PUBLIC UN THE CHAIR PETITIONS THE CHAIR BODIES AN	PERSON OF THE COMMITTEE ON DERTAKINGS PERSON OF THE COMMITTEE ON PERSON OF THE COMMITTEE ON LOG	to pr 2023	p present the Seventieth Report of the Committee on Public andertakings for the year 2023-2024. The sevent the Thirteenth Report of the Committee on Petitions for the year 3-2024. The sevent the Thirteenth Report of the Committee on Petitions for the year 3-2024.	

Classes for the year 2023-2024.

6.

TRIBES AND BACKWARD CLASSES

e on Estimates for the year			

THE CHAIRPERSON OF THE SUBJECT COMMITTEE ON EDUCATION, TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL EDUCATION, MEDICAL EDUCATION AND HEALTH SERVICES

THE CHAIRPERSON OF THE SUBJECT COMMITTEE ON to present the Ninenth Report of the Subject Committee on Education, Technical Education, Vocational Education, Medical Education and Health Services for the year 2023-2024.

(10)				
(10)	THE CHAIRPERSON OF THE COMMITTEE ON	to present the Fifty Third Report of the Committee on Government		
	GOVERNMENT ASSURANCES	Assurance for the year 2023-2024.		

7. LEGISLATIVE BUSINESS.

(1) (Bill to be introduction, consideration and passing)

(i)			
(1)	The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill;to move that the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once;Also to move that the Bill be passed.

(ii)				
(")	The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2024	A MINISTER	to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill; to move that the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.	

(2) (Bills for consideration and passing)

(i)			
(1)	The Haryana State Sports Associations (Registration and	A MINISTER	to move that the Haryana State Sports Associations (Registration and Regulation) Bill be taken into consideration at once; Also to move
	Regulation) Bill, 2024	that the Bill be passed.	

(ii)			
(")	The Haryana Consolidation of Project	A	to move that the Haryana Consolidation of Project Land (Special
	Land (Special Provisions) MINISTER	Provisions) Amendment Bill be taken into consideration at	
	Amendment Bill, 2024	WIINIOTEN	once; Also to move that the Bill be passed.

(iii)			
()	The Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Registration and Regulation of Travel Agents Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(iv)	The Hisar Metropolitan Development Authority Bill, 2024	A MINISTER	to move that the The Hisar Metropolitan Development Authority Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(v)			
(*)			to move that the Haryana Registration and Regulation of
	The Haryana Registration and Regulation of	Α	Private Coaching Institute Bill be taken into consideration at
	Private Coaching Institute Bill, 2024	MINISTER	once;
			Also to move that the Bill be passed.

(vi)			
(11)	The Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions), Amendment Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Backward Classes (Reservation in Services and Admission in Educational Institutions), Amendment Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.

(vii`	<u> </u>			
(*11)	The Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill, 2024	A MINISTER	to move that the Haryana Honourable Disposal of Dead Body Bill Bill be taken into consideration at once; Also to move that the Bill be passed.	

Chandigarh-160001 Date:27/Feb/2024 Rajender Kumar Nandal Secretary HARYANA VIDHAN SABHA



चौदहवीं विधान सभा बजट सत्र 2024

कार्य सूची

28 फ़रवरी 2024

1. प्रश्न।

- (1) पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।
- 2. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।
 - (1)

 एक प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम
 मंत्री "सभा की बैठकें " केउपबंधों से मुक्त किया जाए।
- 3. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।
 - (1) एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

4. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 जिसकी सूचना श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	सहकारी परियोजना घोटाले से संबंधित।	
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-19 श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के सम प्रश्न पूछ सकते हैं।	
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 जिसकी सूचना- (i) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; (ii) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.; (iii) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.; (iv) राव दान सिंह, एम.एल.ए.; (v) श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए. भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।	

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-34 श्री किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्या भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

(i) ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर:-

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-10 जिसकी सूचना श्री चिरंजीव राव, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है।	सहकारी परियोजना घोटाले से संबंधित।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-१९ श्री अभय सिंह चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या १० के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-20 जिसकी सूचना- (i) श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए.; (ii) श्री आफताब अहमद, एम.एल.ए.; (iii) श्री वरुण चौधरी, एम.एल.ए.; (iv) राव दान सिंह, एम.एल.ए.; (v) श्री शमशेर सिंह गोगी, एम.एल.ए.;द्वारा दी गई है, को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा, एम.एल.ए., भी प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-34 श्री किरण चौधरी, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्या भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं।
ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-43 श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए. द्वारा दी गई, सूचना को स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 के साथ क्लब कर दिया गया है।	माननीय सदस्य भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 10 पर चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

5. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज पत्र।

(1)		कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2018-2019 के लिए हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड की 5 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
	1 211	WHICH THE TO THE

(2)		
(2)	एक	कम्पनी अधिनियम, २०१३ की धारा ३९५ (१) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष २०१९-२०२० के लिए हरियाणा चिकित्सा
		सेवाएं निगम लिमिटेड की 6 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

- (3)

 एक नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क (3) के अधीन की गई अपेक्षा के मंत्री अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए हिरयाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
- (4)

 एक
 गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा-39 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2017-2018 के लिए
 मंत्री
 गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लेखों के वार्षिक विवरण के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
- (5) एक गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2017 की धारा-39(4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2018-2019 के लिए

(6)			
			धीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2019-2020 के लिए की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
	JONETH TOTAL CONTRACTOR	ग राजा के बाविक विवस्त के राज्य र	antiquition (may 1) is it to it
7)			
			धीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2020-2021 के लिए की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।
	3(2) 1 (6) 1 (7) 4 (7)	, (IGI 17 111 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 17 11 1	THE CHARTEST OF THE CONTRACT O
नेव	। पोर्टल के माध्यम से विधान स	समितियों की रिपोर्टस प्रर	तुत करना
11			
(1)	अधीनस्थ विधान समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए अधीनस्थ	वेधान समिति की 51 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(2)	लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए लोक लेखा स	मिति की 89 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
		•	9
(3)	लोक लेखा समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए लोक लेखा स	किर की ०० मीं विपोर्न गरूर करेंगे।
	लाक लखा सामात क ययरपसन	वर्ष २०२३-२०२४ के लिए लाक लखा स	मात का ५० वा रियाट प्रस्तुत करना
(4)		T .	
` _	लोक उपक्रमों संबंधी समिति के चेयरपर्सन	वर्ष 2023-2024 के लिए लोक उपव्र	मों संबंधी समिति की 70 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।
(5)			
(0)	याचिका समिति के चेयरपर्सन	ार्ष 2023-2024 के लिए याचिका समिति	न की १३ वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(6)	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थ	सम्बधी वर्ष 2023-2024 के लिए श	हरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थानों समिति
	समिति के चेयरपर्सन	की १९ वीं रिपोर्ट प्रस्तुत क	रेंगे।
			
(7)	अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिष्ट	वर्गों के वर्ष 2023-2024 के लिए	अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के
7)	अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिष्ट कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन		अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा पिछड़े वर्गों के 47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(7)			
		कल्याण पर समिति की	47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
	कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन		47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
` '	कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन	कल्याण पर समिति की	47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(8)	कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति के चेयरपर्सन	कल्याण पर समिति की वर्ष 2023-2024 के लिए प्राक्कलन समि	47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। ाति की 51 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(7) (8)	कल्याण के लिए समिति के चेयरपर्सन	कल्याण पर समिति की वर्ष 2023-2024 के लिए प्राक्कलन सर्गि वर्ष 2023-2024 के लिए शिक्ष	47 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

मंत्री | गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के लेखों के वार्षिक विवरण के साथ उनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट (प्रतिवेदन) मेज पर रखेंगे।

6.

$(10)_{1}$		
(10)	सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति के	वर्ष 2023-2024 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 53 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत
	चेयरपर्सन	करेंगे।

7. विधान कार्य।

(1) (प्रस्तुतीकरण, विचार तथा पारित किया जाने वाले विधेयक)

(i)			
(')			हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;
	1. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(ii)			
(")			हरियाणा विनियोग (संख्या २) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;
	2. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक,	एक	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या २) विधेयक पर तुरन्त विचार
	2024.	मंत्री	किया जाए;
			यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(2) (विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक)

हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक, 2024. एक पुस्ताव करेंगे कि हरियाणा राज्य खेल संघ (पंजीकरण और विनियमन) विधेयक प तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।	(1)
--	-----

(ii)			
(")	हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2024.	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iii)			
(111)	हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;
			यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(iv)			
(11)	हिसार महानगर विकास	एक	प्रस्ताव करेंगे कि हिसार महानगर विकास प्राधिकरण विधेयक पर तुरंत विचार किया
	प्राधिकरण विधेयक, 2024	मंत्री	जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(v)			
(*)	हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024	एक मंत्री	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा निजी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(vi)			
(*1)	हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा		प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा पिछड़े वर्ग (सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थाओं में
	शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण)		दाखिले में आरक्षण) संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए;यह भी प्रस्ताव
	संशोधन विधेयक, 2024.	मत्री	करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

(vii)	•		
(",	, हरियाणा शव का सम्मानजनक	एक	प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पर तुरंत विचार किया
	निपटान विधेयक, 2024		जाए;यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

Chandigarh-160001 दिनांकः२७ फरवरी २०२४ राजेन्द्र कुमार नांदल सचिव हरियाणा विधान सभा